छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

---

//अधिसूचना//

नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 09.12.19

**कमांक एफ 10–6/2017/16.** :– राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.06.2017 द्वारा लागू "**असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना**" को अधिक्रमित करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाती है –

(क) योजना का नाम :–

1. योजना का नाम "**असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना**" होगा।

(ख) योजना का प्रावधान :–

1. योजना के अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।

(ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि :–

पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधोलिखित तालिकानुसार सहायता राशि देय होगी:–

| स.क्र. | विवरण | अनुदान राशि |
|---|---|---|
| 1 | मृत्यु पर | 1 लाख रूपये |
| 2 | स्थायी दिव्यांगता पर | 50 हजार रूपये |

(घ) योजना की पात्रता :–

1. 18 से 60 वर्ष की उम्र के असंगठित श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
2. असंगठित श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 10(3) के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।
3. आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थो के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक–दूसरे से हुई मार–पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

निरंतर.....2..

4. योजना के तहत् केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर नहीं।
5. मंडल द्वारा संचालित सिलिकोसिस से पीड़ित असंगठित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना के अतर्गत लाभान्वित हितग्राही इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए पृथक से योजना संचालित है।

(च) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :

1. योजना के तहत् आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे।
2. आवेदक किसी भी च्वाईस सेन्टर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत् कर सकता है।
3. योजनांतर्गत आवेदन मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार किया जावेगा।
4. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं स्थायी दिव्यांग होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत् किया जायेगा।

(छ) स्वीकृति का अधिकार :-

संबंधित जिले के कलेक्टर, द्वारा श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के प्रस्ताव पर आवेदन स्वीकृत किया जावेगा।

(ज) भुगतान की प्रक्रिया :

6. संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा सहायता राशि हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी के नामित व्यक्ति को प्रदान की जावेगी।
7. नामित व्यक्ति के नहीं होने पर वैध उत्तराधिकारी को राशि प्रदान की जावेगी।
8. वैध उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद की स्थिति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
9. हितग्राही के पंजीयन अभिलेख में यदि किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो हितग्राही के बैंक पासबुक में उल्लेखित नामिनी को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
10. आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजना की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से हितग्राही/नामिनी के खाते में स्थानांतरित की जावेगी।

निरंतर.....3..

(झ) <u>योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण</u> :—

योजना के क्रियान्वयन मे यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

(ट) <u>योजना का प्रभावशीलन</u> :—

यह योजना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

9-12-019

(एफ0केरकेट्टा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा0 कमांक एफ 10—6/2017/16 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09.12.19

<u>प्रतिलिपि</u> :—

1. विशेष सहायक,द माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर जिला—रायपुर (छ.ग.)।
5. समस्त कलेक्टर, जिला ....................
6. सचिव, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, अटल नगर, नवा रायपुर,
7. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, अटल नगर नवा रायपुर,
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....................
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....................
10. एन.आई.सी शाखा, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
11. उप संचालक शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

9-12-019

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग